

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

बनाम राधिका देवी, पति श्री राजेश कुमार

दमा नं. 10/11/22 = नं. 177 नं. 08 सन 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

10/11/22 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 11/11/22  
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर, करेड़ा

11/11/22 पत्रावली पेश हुई, जिसमें उक्त  
आदेशक को सम्मन नोटिस जारी  
से पत्रावली निकाली गई है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

24/11/22 पत्रावली पेश हुई, जिसमें उक्त  
आदेशक को सम्मन नोटिस जारी  
से पत्रावली निकाली गई है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

13/11/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र  
प्रकरण में प्रार्थनापत्र तहसील में  
करेड़ा को विपक्षी  
कमरे में भंगना के लिये सिन्ड्रे उपलब्ध  
नहीं होने से प्रार्थनापत्र अदालत  
आगत पत्रों में स्वपीज किया जाता है।  
पत्रावली के लिये अदालत उक्त नम्बर  
से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

